न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़ बइजलास श्री चिमन लाल मीना R.A.S

मिसल न. 5/2023 | तारीख दायर 24/03/2023 | तारीख फैसला 20/04/2023

– उनवान –

राजकुमार चावला पुत्र श्री महादेव प्रसाद चावला जाति खटीक, निवासी शिव कुण्डा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

मंजू सैनी पत्नि श्री ताराचन्द सैनी, जाति माली, निवासी लालवास बन्धा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील आधी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

राजेश कुमार पारीक – वकील प्रार्थी।

पुष्पेन्द्र शर्मा – वकील अप्रार्थी स. 1

प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

– निर्णय –

प्रार्थी की ओर से जरिए अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पारीक ने यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम घोरेट उर्फ हररामपुरा पटवार क्षेत्र रायपुर तहसील आंधी जिला जयपुर के आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 13 रकबा 1.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 13/470 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, सम्पूर्ण स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजीयात के लगवा अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी भूमि स्थित है तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी भूमि के बीच मे मुकमिल सीमा के पुख्ता निशानात नही है। जिससे हमेशा सीमा बाबत विवाद रहता है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.03.2023 को अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया था, जिसमें सीमाज्ञान हेतु गठित राजस्व टीम द्वारा वरवक्त सीमाज्ञान बताये गये सीमाचिन्हों को मानने से अप्रार्थी सं0 1 ने कतई मना कर दिया, जिससे बिनाय प्रार्थना पत्र वाद कारण पैदा होकर उसके बाद निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात के चारो तरफ (चारो दिशाओं) की मुकमील पत्थरगढी पुलिस इमदाद मे कराये जाने के आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो की तलबी करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आये तथा पत्थरगढी हेतु सहमति जाहिर की। अप्रार्थी सं0 2 ने अपने पत्र क्रमांक/रीडक/2023/518 दिनांक 27.03.2023 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार आधी ने उक्त मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम घोरेट उर्फ हररामपुरा के खसरा नम्बर 12 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 13 रकबा 1.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 13/470 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, राजकुमार चावला पुत्र श्री महादेव प्रसाद चावला जाति खटीक, निवासी शिव कुण्डा, तहसील आमेर, जिला जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। आराजी भूमि का सीमाज्ञान किया जा चुका है, आराजी भूमि मौके पर खाली हैं, उक्त खसरा नम्बर के पड़ोसी खसरा नम्बरान की भूमि भी वर्तमान मे मौके पर खाली है। पत्थरगडी आदेश किया जाना उचित बताया है।

बहस वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस सुनने व तहसीलदार आंधी की रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, आधी को आदेशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 12 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 13 रकबा 1.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 13/470 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, ग्राम घोरेट उर्फ हररामपुरा पटवार मण्डल रायपुर, तहसील आधी जिला जयपुर में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में उक्त वर्णित आराजियात के चारों तरफ (चारो दिशाओं) की पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 20.04.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

20/4/23

(चिमनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़